न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

निग -2980-पीबीआर/प्र0क्र0...................../16

काल्या आ0श्री हिराजी जाति कोरकू
निवासी–गुल्लरढाना, तहसील भैंसदेही,
जिला बैतूल (म0प्र0) --- **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

बुकलीबाई पुत्री श्री हिरा जी (पत्नि मुंगा)
जाति कोरकू, निवासी–गुल्लरढाना, तहसील भैंसदेही,
जिला बैतूल (म0प्र0) ---**प्रतिनिगरानीकर्ता**

म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही के राजस्व प्र0क्र0–23/अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

(20) (1)

XXXIX(...) BR (H) 10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

R 2980 - PBR/16

कमला विरुद्ध पुष्पा बाई

जिला बैतूल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक .... जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक ....

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक .... तहसील का प्रकरण क्रमांक ....

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	अनु० अधि० भैंसदेही ~~आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला~~ के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 5-8-16 के विरुद्ध श्री जगदीश जैन के अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है .... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
31.8.2016	आवेदक की ओर से श्री जगदीश जैन अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता ~~पर~~ पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी के	31-8-16

[पीछे देखिये

कार्यालय x पुष्ट वाई
R 2980 PPR/16 दि. 2.2.16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश दिनांक 5.8.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अवैध निर्माण की धारा 5 पर उभय पक्ष को सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करें। [signature] अध्यक्ष	31/8/16